

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ-4(ई)II/ एपीओ/अलेसे-III/ 11421-434

दिनांक: 13-1-12

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित लेखाकर्मियों की उनके नाम के सामने अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(III) के अन्तर्गत वित्त विभाग को भेजी गई एकल पत्रावली पर अनुमोदित कर वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की है। अतः आदेशों की प्रतीक्षा अवधि का वेतन भुगतान कॉलम संख्या 6 में अंकित विभाग/कार्यालय से किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा दी जाती है:-

क.सं	नाम लेखाकर्मि	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि जो नियमित की गई		विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन का भुगतान किया जावेगा
		कब से	कब तक	
1	2	4	5	6

सहायक लेखाधिकारी

1.	लक्ष्मण प्रसाद कोली	10.11.11	27.11.11	निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
2.	धर्मराज	22.10.11	27.11.11	पुलिस अधीक्षक, शहर, कोटा

लेखाकार

3.	कैलाश चन्द मीणा	27.09.11	25.11.11	उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, टोंक
4.	शम्भू दयाल गुप्ता	11.10.11	09.12.11	परियोजना समन्वयक, राज0 हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट प्रोजेक्ट, भरतपुर

निदेशक

क्रमांक: एफ-4(ई)II/ एपीओ/अलेसे-III/ 11421-434

दिनांक: 13-1-12

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष

को भेजकर लेख हैं कि सम्बन्धित लेखाकर्मि का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावें।

2. संयुक्त निदेशक(प्रशासन) कोष एवं लेखा, जयपुर को भेजकर लेख हैं कि सम्बन्धित लेखाकर्मि का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावें।

3. प्रभारी, एनआईसी वित्त भवन, जयपुर को आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु

4. डेस्क आफिसर कार्मिक(अलेसे-प्रथम/द्वितीय/लेखा-प्रशासन)

5. श्री _____ सहायक

लेखाधिकारी/

लेखाकार/

कार्यालय _____ को निर्देश दिये

जाते हैं कि वे अपना गत भुगतान प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग /कार्यालय को प्रस्तुत करें एवं प्राप्त भुगतान की सूचना भिजवावें।

6. निजी सहायक, निदेशक

7. निजी पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II)